न्यायालय अति0 जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मु0नं0 22/2019 तारीख रजू:– 5.2.2019

भरोसी पुत्र हरमोती जाति कुम्हार निवासी ग्राम खेडली तहसील नादौती जिला करौली

:– अपीलान्ट

बनाम

1 सरकार तहसीलदार नादौती जिला करौली –रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय तहसीलदार नादौती निर्णय दिनांक 16.1.2019 वमुकदमा सरकार बनाम भरोसी मुकदामा नम्बर 135/2019 धारा 91 एल.आर.एक्ट

उपस्थितिः–श्री रिषीराम मीना वकील अपीलान्ट

निर्णय दिनांक 25.02.2019

वाकेयात इस प्रकार है कि अपीलान्ट की ओर से यह अपील अपीलान्ट वकील ने पेश कर बताया है कि खसर नम्बर 1 रकवा 0.01 है0 किश्म गैरमुमकिन नाला वाके ग्राम खेडली का अतिक्रमण मानकर अपीलान्ट को शास्ती वेदखली से दण्डित किया गया है। जिसमे यह कि अपीलान्ट को जो नोटिस धारा 91 दिया गया है। उसमे नियत तारीख 16.2.2019 थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी की अनुपस्थिति मानते हुये दिनांक 16.1.2019 को ही निर्णय पारित किया गया है। जिसकी छाया प्रति शामिल है। अपीलान्ट को किसी प्रकार का कोई सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। अपीलान्ट की साबिक खातेदारी खसरानम्बर 22 रकवा 1 वीधा 15 विस्वा वाके ग्राम खेडली मे स्थिति थी जिसका भू प्रबन्धक विभाग द्वारा नवीन खसरा नम्बर 50 रकवा 15 ऐयर 51 रकवा 11 ऐयर 52 रकवा 9 ऐयर 53 रकवा 2 ऐयर कुल किता 4 कुल रकवा 37 ऐयर कायम किया गया है। जो कि साबिक रकवे से 5 विस्वा भूमि कम दिया जाकर पश्चिम मे सिवायचक भूमि रकवा 1 वीधा 4 विस्वा से नया नम्बर बनाकर 78 ऐयर कायम कर दिये गये है जो काफी बडा रकवा बनाया गया है। अपीलान्ट का किसी भी राजस्व भूमि पर अतिक्रमण नही किया गया हैं बल्कि अपीलान्ट की भूमि साबिक के मुकाबले कम दी गई है। अपीलान्ट द्वारा इस सम्बन्ध मे एक दावा राजस्व न्यायालय मे लम्बित था जिसकी अपील राजस्व अधिकारी के यहा पेश होने पर दिनांक 5.1.2018 को अपीलान्ट के पक्ष मे निर्णित हो चुकी है। अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि पर अपना रिहायसी मकान बना रखा है और सहपरिवार निवास करता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के विरूद्व निणिय पारित किया गया है जो गलत है। अन्त मे अपील अपीलान्ट पेश कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

अपील अपीलन्ट दर्ज पंजीका कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब करते हुये अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की।

वकील अपीलान्ट ने लिखित बहस पेश की गई। जिसमे विवादित आराजी साबिक रिकार्ड के अनुसार खसरा नम्बर 22 रकवा 1 वीधा 15 विस्वा दर्ज होना तथा इसके हाल

हल्का बडागॉव ने ग्राम खेडली तहसील नादौती के राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1 रकवा 0.01 है0 भूमि गैरमुमकिन नाला पर गोबर ,ईधन,पत्थर,डालकर कब्जा करने की रिपोर्ट तहसीलदार नादौती के यहा पेश की गई थी जिसमे तहसीलदार नादौती ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(3) क के तहत नोटिस जारी किया गया है। जिसमे नियम तारीख 16.1.2019 दर्शित की हुयी है। वकील अपीलान्ट का अपनी बहस कथन मे एवं अपील मीमो कहा गया है कि अपीलान्ट को सुनवाई हेतु जो नोटिस अधिनस्थ न्यायालय ने दिया गया है। उसमे नियत तारीख 16.2.2019 है वहा पर पत्रावली का अवलोकन करने पर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे जो नोटिस अपीलान्ट को देना बताया है। उसमे नियत तारीख 16.1.2019 दर्ज है। जबकि अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील मीमो के साथ जो नोटिस मूल प्रति पेश की गई है। उसमे नियत तारीख 16.2.2019 है इस प्रकार से दोनो ही प्रतिया मूल है। और बिरोधाभासी है। साथ ही अपनी लिखित बहस मे यह भी दर्शित किया गया है कि अपीलान्ट की साबिक मे ,खातेदारी 1 वीधा 15 विस्वा थी जिसके हाल खसरा नम्बर 50,51,52,53 कुल किता 4 कुल रकवा 37 ऐयर भू प्रबन्ध विभाग ने कायम किये गये है जो साबिक के हाल मे कम है जिसकी ताहिद मे साबिक एवं हाल रिकार्ड की छाया प्रति पेश की गई है। और नक्शा ट्रेस भी पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त इस विवादित आराजी के सम्बन्ध राजस्व न्यायालयो मे भी वाद विचाराधीन है। इस प्रकार से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत नही सुना गया है। इन्हे सुना जाता तो अपीलान्ट न्यायालय विवादित आराजी के सम्बन्ध मे अपना जबाव भी पेश करने मे स्वतंन्त्र रहता अब जहा पर वकील अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट को साबिक के मुकाबले हाल मे रकवा कम करते हुये नक्शा ट्रेस मे भी रकवा कम किया हुआ है। इस सम्बन्ध मे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करते हुये अपने रकवे को प्राप्त करने का अधिकारी है। यहा पर मात्र अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्व अपील ही सुनने के बाद कार्यवाही की जानी होती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नही सुना नही जाकर एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरूद्व है। हम वकील अपीलान्ट के कथनो से सहमत हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार नादौती का निर्णय दिनांक 16.1.2019 अप्रास्त किया जाता है। तथा तहसीलदार नादौती को पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है। कि अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई करते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.2.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर
करौली